

प्रेस नोट थाना खुदागंज

जनपद शाहजहाँपुर



सहारनीय कार्य दिनांक 12.07.2025

“थाना खुदागंज पुलिस की कार्रवाई: आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में एक वांछित आरोपी अभियुक्त को किया गिरफ्तार”

श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद शाहजहाँपुर के निर्देशानुसार, अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण महोदय के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी तिलहर के कुशल निर्देशन में अपराधों की रोकथाम व अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में प्रभारी निरीक्षक खुदागंज के नेतृत्व में थाना खुदागंज पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली।

संक्षिप्त विवरण:-

दिनांक 05.06.2025 को वादी मुकदमा श्री सुरेश चन्द्र पुत्र मंगली निवासी ग्राम खिरिया थाना खुदागंज जिला शाहजहाँपुर ने अभियुक्त संतोष पुत्र रिकू निवासी खिरिया थाना खुदागंज जिला शाहजहाँपुर के विरुद्ध वादी की पुत्री से फ़ोन पर बात करना व परेशान करना जिससे आहत होकर वादी की पुत्री ने फांसी लगाकर आत्महत्या करने के सम्बन्ध में मु0अ0सं0 142/25 धारा 108 बी.एन.एस. पंजीकृत कराया गया था। मुकदमे में वांछित चल रहे अभियुक्त की तलाश लगातार जारी थी। जिसके क्रम में मुखबिर की सूचना पर दिनांक 12.07.2025 को समय 9:04 am बजे देवा नदी पुल से 100 कदम आगे मंझिला की तरफ थाना खुदागंज जनपद शाहजहाँपुर के पास अभियुक्त संतोष पुत्र रिकू निवासी खिरिया थाना खुदागंज जनपद शाहजहाँपुर को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण:-

संतोष पुत्र रिकू उम्र करीब 20 वर्ष निवासी ग्राम खिरिया थाना खुदागंज जिला शाहजहाँपुर।

पंजीकृत अभियोग:-

मु0अ0सं0 142/25 धारा 108 बी.एन.एस. थाना खुदागंज जनपद शाहजहाँपुर।

गिरफ्तारी का स्थान व समय:-

दिनांक 12.07.2025 , समय 9:04 am बजे, स्थान- देवा नदी पुल से 100 कदम आगे मंझिला की तरफ थाना खुदागंज जनपद शाहजहाँपुर।

पुलिस पार्टी का विवरण:-

1. उ0नि0 श्री दिनेश चन्द्र थाना खुदागंज
2. का0 2041 सावन मलिक थाना खुदागंज
3. का0 2813 अभिषेक थाना खुदागंज
4. का0 2655 राहुल थाना खुदागंज